

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
न्यायालय सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) वेगू जिला चित्तौड़गढ़ (राज0)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

खाता सं० : 118/23

रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र जी जाति कंजर निवासी रडी का झोपड़ा तह0 वेगू
..... वादी

— बनाम —

- 1:- नारायणपिता रामचन्द्र जाति कंजर निवासी रडी का छोपड़ा तह0 वेगू
- 2:- श्रीमान शाखा प्रबंधन महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली
- 3:- श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह0 कार्यालय वेगू
- 4:- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौड़गढ़

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीकी ओर कोई नहीं एक तरफा आदेश में वाद अ.धा. 53-88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 18.08.2025 को पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, वेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88राज0 काश्त0 अधि0 का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:-

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द वंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मोतीपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-

खाता संख्या 07

1- श्री रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
469/437 मे से	0.405	बंजड	0.75
470/437 मे से	0.405	बंजड	0.75
कीता- 02	0.81 हैक्टर		1.50

प्रतिवादी

1- श्री नारायणलाल पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
469/437 मे से	0.405	बंजड	0.75
470/437 मे से	0.405	बंजड	0.75
कीता- 02	0.81 हैक्टर		1.50

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
वेगू (चित्तौड़गढ़)

संख्या 95

श्री रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
562/437 मे से	0.16	बंजड	0.99

कीता- 01	0.16 हैक्टर	0.99
----------	-------------	------


2- श्री नारायणलाल पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
562/437 मे से	0.16	बंजड	0.99

कीता- 01	0.16 हैक्टर	0.99
----------	-------------	------

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।


यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।


(अंकित सागरिया)
सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगू

दिनांक :-

क्रमांक / सरिस्ता / 2025 /

अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे।


सहायक कलेक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगू
(यिताइंगक)

किन्तु प्रतिवादी एक द्वाशा इत्कार कर देने से यह वादपत्र तारते विभाजन घोषणा हेतु श्रीमान में पेश करने की आवश्यकतापूर्वक है।
यह कि वादपत्र में वर्णित खाता संख्या 7 व 95 की संयुक्त खातेदारी आराजीयात में वादी 1/2 हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का भी 1/2 हक-हिस्सा अनुसार मौके पर आपसी तौर पर मौखिक बंटवाडा कर निरंतर काबिज हो उपयोग उपयोग करते आ रहे है, लेकिन राजस्व रेकार्ड में एवं मौके पर वादी एवं प्रतिवादी संख्या एक के मध्य भूमि का विधिवत विभाजन नहीं होने के कारण वादी व प्रतिवादी संख्या 1 के मध्य भूमि का मौके पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हक हिस्से व कब्जे अनुसार एवं गिद्स एण्ड बाण्टड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किया जाना न्यायहित में आवश्यक है।

अतः वादी श्रीमान से निम्न अनुतोष की प्रार्थना करता है:-

(अ) कि वादपत्र में अंकित मोतीपुरा प.ह. मोतीपुरा तहसील बेगूं की संयुक्त खातेदारी आराजीयात के खाता सं. 7 में अंकित आराजी संख्या 469/437, 470/437 कीता 2 कुल रकबा 1.6200 हैं. व खाता संख्या 95 में अंकित आराजी संख्या 562/437 रकबा 0.3200 हैं. भूमि में वादी का 1/2 निहित हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रेकार्ड में अंकित 1/2 हक हिस्सानुसार एवं मौके पर राजस्व रेकार्ड में अंकित हक-हिस्से व कब्जे अनुसार व गिद्स एण्ड बाण्टड्स के आधार पर अच्छी से अच्छी एवं बुरी से बुरी भूमि का विभाजन किये जाने की घोषणात्मक आज्ञापि वादी के पक्ष में विरुद्ध प्रतिवादीगण प्रदान कराई जावे।

(ब) कि बाद विभाजन वादी का खाता पुथक से राजस्व रिकॉर्ड में दर्ज किये जाने की आज्ञापि वादी के पक्ष में प्रदान कराई जावे।

(स) अन्य कोई अनुतोष जो सुलभ वादी हो प्रतिवादीगण से प्रदान कराया जावे।

वाद अध्या 53-88 राजकाअधि का दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादी को जरिये सम्मन से तलब किया गया। प्रतिवादी सं० 1 एवं 2 बावजूद सूचना के न्यायालय में उपस्थित नहीं हुए जिससे इनके विरुद्ध एकतरफा कार्यवाही के आदेश दिये गये। प्रतिवादी सं० 03 व 04 फोर्मल पक्षकार होने से जवाब दावा प्रस्तुत नहीं किया जाने पर प्रतिवादी सं० 03 व 04 का जवाब अवसर बंद किया जाने के पश्चात वादी रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र के साक्ष्यवादी में बयान कलमबद्ध करा दस्तावेज प्रदर्श कराये गये। दस्तावेजों का अवलोकन किया गया।

अवलोकन में पाया कि वादपत्र में अंकित वाद वर्णित आराजी खाता सं० 7 एवं 95 में वादी का हिस्सा 1/2-1/2 दर्ज है जिसका वादीगण विभाजन कराने का अधिकारी पाया जाता है। इसी हिस्सा अनुसार विभाजन किया जाना न्यायसंगत है।

अतः वाद वादी का अंतर्गत धारा 53-88 राजकाअधि का स्वीकार किया जाता है। वादपत्र में अंकित मोतीपुरा प.ह. मोतीपुरा तहसील बेगूं की संयुक्त खातेदारी आराजीयात के खाता सं. 7 में अंकित आराजी संख्या 469/437, 470/437 कीता 2 कुल रकबा 1.6200 हैं. व खाता संख्या 95 में अंकित आराजी संख्या 562/437 रकबा 0.3200 हैं. भूमि में वादी का 1/2 निहित हक हिस्सा एवं प्रतिवादी संख्या 1 का राजस्व रेकार्ड में अंकित 1/2 हक हिस्सानुसार आराजी में विभाजन कराये जाने हेतु तहसीलदार बेगूं को 1500/- रुपये कमिश्नर शुल्क पर कमिश्नर नियुक्त किया जाता है। दावा प्राथमिक डिक्री किया जाकर डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगूं को पालनार्थ दी जाकर निर्देशित किया जाता है कि वे निर्णयानुसार आराजी का वादी एवं प्रतिवादी के मध्य विभाजन प्रस्ताव तैयार करते हुए मूल नक्शा ट्रेस दो प्रति में इस न्यायालय में पूर्व पेश करे।

उक्त प्राथमिक डिक्री की पालना में तहसीलदार बेगूं के पत्र क्रमांक/राजस्व(कोटी)/2025/491 दिनांक 12.06.2025 से फर्द बंटवारा इस न्यायालय को भिजवाई गई जिस पर वकील वादी एक तरफा बहस को ध्यानपूर्वक सुना गया, अधिवक्ता वादी ने अपनी बहस में प्राप्त फर्द बंटवारा रिपोर्ट को सही होना स्वीकार करते हुए दावा अंतिम डिक्री किया जाने का निवेदन किया है। फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार दावा वादी का स्वीकार किया जाकर अंतिम डिक्री किया जाने योग्य पाया जाता है।

रजिस्ट्रार
(राजस्व अधिकारी)
बेगूं (तहसीलदार)

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान कारशतकारी अधिनियम का फर्द रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मोतीपुरा हल्का मोतीपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-
खाता संख्या 07

1- श्री रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
469 / 437 मे से	0.405	बंजड	0.75
470 / 437 मे से	0.405	बंजड	0.75
कीता- 02	0.81 हैक्टर		1.50

प्रतिवादी

1- श्री नारायणलाल पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
469 / 437 मे से	0.405	बंजड	0.75
470 / 437 मे से	0.405	बंजड	0.75
कीता- 02	0.81 हैक्टर		1.50

खाता संख्या 95

1- श्री रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
562 / 437 मे से	0.16	बंजड	0.99
कीता- 01	0.16 हैक्टर		0.99

2- श्री नारायणलाल पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
562 / 437 मे से	0.16	बंजड	0.99
कीता- 01	0.16 हैक्टर		0.99

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित प्रामरिसा)
सहायक कलेक्टर
(उपनिर्वाह अधिकारी)वेगू

मूलवाद में अंतिम डिक्री
(आदेश 20 के नियम 6 और 7)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू जिला चित्तौडगढ़ (राज०)
पीठसीन अधिकारी अंकित सामरिया आर.ए.एस

दावा सं० : 118/23

रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र जी जाति कंजर निवासी रडी का झोपड़ा तह० बेगू
..... वादी

— बनाम —

- 1:- नारायणपिता रामचन्द्र जाति कंजर निवासी रडी का छोपड़ा तह० बेगू
- 2:- श्रीमान शाखा प्रबंधन महोदय बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली
- 3:- श्रीमान भूमिधारी जी तहसीलदार साहब तह० कार्यालय बेगू
- 4:- श्रीमान जिला कलक्टर महोदय चित्तौडगढ़

.....प्रतिवादीगण

वादी की ओर से अधिवक्ता श्री अशोक शर्मा की उपस्थिति में तथा प्रतिवादीकी ओर कोई नहीं एक तरफा आदेश में वाद अ.धा. 53-88 आर.टी.एक्ट में आज दिनांक 18.08.2025 को पीठासीन अधिकारी अंकित सामरिया सहायक कलक्टर एवं उपखण्ड अधिकारी, बेगू के समक्ष अंतिम निपटारे हेतु उपस्थित होने से अतः वादीगण का वादपत्र अन्तर्गत धारा 53-88राज० काश्त० अधि० का स्वीकार किया जाता है दावा अंतिम डिक्री किया जाता है:-

अतः वाद वादी का अन्तर्गत धारा 53 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम का फर्द बंटवारा रिपोर्ट अनुसार स्वीकार किया जाता है, दावा अंतिम डिक्री किया जाता है, मौजा मोतीपुरा पटवार हल्का मोतीपुरा की आराजीयात का विभाजन वादी एवं प्रतिवादीगण के मध्य निम्न प्रकार से किया जाता है:-

खाता संख्या 07

1- श्री रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार रहन बैंक ऑफ बडौदा शाखा पारसोली

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
469/437 मे से	0.405	बंजड	0.75
470/437 मे से	0.405	बंजड	0.75
कीता- 02	0.81 हैक्टर		1.50

प्रतिवादी

1- श्री नारायणलाल पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार

आराजी संख्या	रकबा हैक्टर	किस्म	लगान
469/437 मे से	0.405	बंजड	0.75
470/437 मे से	0.405	बंजड	0.75
कीता- 02	0.81 हैक्टर		1.50

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी)
बेगू (चित्तौडगढ़)

ख्या 95

रमेशचन्द्र पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार
आराजी संख्या 562/437 मे से

रकबा हैक्टर 0.16
किस्म बंजड
लगान 0.99

कीता- 01 0.16 हैक्टर 0.99

2- श्री नारायणलाल पिता रामचन्द्र कंजर हिस्सा पूर्ण सा. देह खातेदार
आराजी संख्या 562/437 मे से

रकबा हैक्टर 0.16
किस्म बंजड
लगान 0.99

कीता- 01 0.16 हैक्टर 0.99

उपरोक्तानुसार राजस्व रेकार्ड में अंकन करते हुए खाता वादी एवं प्रतिवादीगण का पृथक पृथक किया जाने का आदेश दिया जाता है।

यह अंतिम निर्णय आज दिनांक 18.08.2025 को लिखाया जाकर सरे ईजलास सुनाया गया।

(अंकित सामरिया)
सहायक कलक्टर (उपखण्ड अधिकारी) बेगू

दिनांक :-

क्रमांक / सरिश्ता / 2025 /

अंतिम डिक्री की प्रति तहसीलदार बेगू को पालनार्थ दि जावे।

सहायक कलक्टर
(उपखण्ड अधिकारी) बेगू
बेगू (चितीइगद)